संख्या- 80/2015/2234/30-3-15-11बी/2014

प्रेषक,

नर्वेद सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ:दिनॉक 24 सितम्बर, 2015

विषय :-वित्तीय वर्ष 2015-16 में आयोजनेत्तर पक्ष में प्रथम अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

वित्तीय वर्ष 2015-16 में परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष में प्रावधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति जारी किये जाने विषयक शासनादेश संख्या-35/796/30-3-15-11बी/2014, दिनॉक 07-04-2015 के क्रम में उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1635ए/2015-127ए/2015, दिनॉक 21-08-2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष-2015-16 में परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष में प्रथम अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति जारी किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष-2015-16 में परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष में प्रथम अनुपूरक मांग के माध्यम से लेखाशीर्ष-3055-सड़क परिवहन-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-अधिष्ठान व्यय में मद संख्या-9-विद्युत देय, मद संख्या-10-जलकर/जल प्रभार तथा मद संख्या-17-किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व के अन्तर्गत अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान कराये जाने का प्रस्ताव आपके पत्र संख्या-1483ए/2015-127ए/2015, दिनॉक 29-07-2015 के द्वारा उपलब्ध कराया गया था।

3- आपके उपरिसंदर्भित पत्र के द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त प्रथम अनुपूरक मांग के माध्यम से स्वीकृत धनराशि रू0 14424 हजार (रू0 एक करोड़ चौवालीस लाख चौबीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति, निम्नलिखित तालिका में दिये गये विवरण के अनुसार, निर्गत कर शासनादेश संख्या-35/796/30-3-15-11बी/2014, दिनॉक 07-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

04-2015 में उल्लिखित शर्तों व प्रतिबन्धों के अधीन, आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि हजार रूपये में)

लेखाशीर्षक/मानक मद संख्या तथा नाम	प्रथम अनुपूरक मांग के माध्यम से स्वीकृत प्राविधान	जारी धनराशि
लेखाशीर्षक-3055-सड़क परिवहन-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-अधिष्ठान व्यय		
09-विद्युत देय	3000	3000
10-जलकर/जल प्रभार	3700	3700
17-किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व	7724	7724
योग : 3055-03	**14424**	**14424**

4- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(नर्वेद सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या-80/2015/2234(1)/30-3-2015, तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/ वरिष्ठ कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, परिवहन आयुक्त कार्यालय, लखनऊ।
5- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9
6- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नर्वेद सिंह)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।